

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2015

क्र. एफ-3-74-2014-बत्तीस.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 2012) की धारा 17(क)(1) के अन्तर्गत आगर विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है. यह समिति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(2) सह पठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा 17क(1) खण्ड (1)	व्यक्ति का नाम/ पद (2)	संस्था/ पता (3)	समिति में पद (4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका, परिषद् आगर	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, आगर/शाजापुर	सदस्य
(ग)	सांसद	लोक सभा क्षेत्र आगर/ शाजापुर	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र—आगर	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर तथा ग्राम निवेश विकास प्राधिकारी	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत—आगर	सदस्य
(छ) 1.	सरपंच	ग्राम पंचायत—मालीखेड़ी, जिला आगर	सदस्य
2.	सरपंच	ग्राम पंचायत, बेटखेड़ा (निपानीया) जिला आगर	सदस्य
3.	सरपंच	ग्राम पंचायत, पाल (नरवल) जिला आगर	सदस्य
(ज) 1.	प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला आगर	सदस्य
2.	प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट आफ इण्डिया	सदस्य
3.	प्रतिनिधि	इस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया	सदस्य
4.	प्रतिनिधि	इस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया	सदस्य
5.	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, आगर	सदस्य
6.	प्रतिनिधि	वन मण्डलाधिकारी, आगर	सदस्य
7.	प्रतिनिधि	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, आगर	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन, मध्यप्रदेश.	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.